उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

UTTARAKHAND AYURVEDA UNIVERSITY

(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय; विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) की सदस्यता प्राप्त)

(An Autonomous body of Uttarakhand Government; registered u/s 2(f) of UGC Act, 1956; Member of AIU)

रेलवे रोड़, हर्रावाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) – 248001 Railway Road, Harrawala, Dehradun (UK) - 248001

Phone : +91-135-2685993; **Fax :** +91-135-2685124; **Email :** uttarakhandayurved@gmail.com; **Website :** www.uau.ac.in;

संख्या : 102 /उ0आ0वि0/परीक्षा /2021 दिनांक :29 जुलाई 2021

संशोधित कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 98/अ0आ0वि0/परीक्षा– 2021 दिनांक 26 जुलाई 2021 की समय–सारणी घोषित की गयी थी। उक्त आदेश में उल्लिखित परीक्षा समय–सारणी की परीक्षा तिथियों को विस्तारित/संशोधित करते हुए निम्नवत घोषित की जाती है :–

बी0ए0एम0एस0 अंतिम व्यवसायिक की मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम :–

पूर्वाहन्:10:00 से अपरान्हः 01:00 बजे तक

क्र0स0	विषय	प्रश्न–पत्र	दिनांक	दिवस
01	शन्य तन्त्र	प्रथम प्रश्न–पत्र	06.09.2021	सोमवार
		द्वितीय प्रश्न–पत्र	08.09.2021	बुधवार
02	शालाक्य तन्त्र	प्रथम प्रश्न–पत्र	11.09.2021	शनिवार
		द्वितीय प्रश्न–पत्र	13.09.2021	सोमवार
03	कायचिकित्सा	प्रथम प्रश्न–पत्र	15.09.2021	बुधवार
		द्वितीय प्रश्न–पत्र	20.09.2021	सोमवार
04	पंचकर्म	प्रथम प्रश्न–पत्र	22.09.2021	बुधवार
05	शोध पद्धति एवं चिकित्सा सांख्यिकी	प्रथम प्रश्न–पत्र	24.09.2021	शुक्रवार

2– उपरोक्त परीक्षाओं का केन्द्र सम्बन्धित परिसर एवं सम्बद्ध निजी संस्थान होगें।

3– विश्वविद्यालय के परिसर/सम्बद्ध निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों के निदेशक/प्राचार्य प्रश्नगत परीक्षा हेतु अधीक्षक होगें।

4– सभी छात्र/छात्राओं के परीक्षा फार्म (पूर्व में प्रेषित प्रारूप) छात्र/छात्राओं द्वारा भरवाकर विश्वविद्यालय को **अंतिम तिथि 23.08.2021** तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी का प्रवेश–पत्र (Admit Card) जारी नही किया जायेगा। परीक्षा फार्म एवं शुल्क सम्बन्धित परिसर निदेशक/निजी संस्थान के प्राचार्य द्वारा अपने कार्मिको के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेगें।

5– केन्द्र अधीक्षक का यह दायित्व होगा कि प्रश्नगत परीक्षा नकल विहिन तथा शान्तिपर्ण ढंग से सम्पादित कराई जाये।

Scanned with CamScanner

6– परीक्षा कक्षों को पूर्व में सेनेटाईजेसन, प्रत्येक छात्र की बैठने की दूरी कम से कम 01 मीटर होनी अनिवार्य है, मास्क एवं सेनेटाईजर परीक्षार्थियों, परीक्षा कार्यो में लगे अधिकारियों एवं कार्मिको सभी के लिये अनिवार्य होगा। सभी छात्रों की कोविड नेगेटिव रिर्पोट (72 घंटे) की होनी अनिवार्य होगी। उक्त के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई भी कोविड–19 सम्बन्धित दिशा निर्देश प्राप्त होते है तो उसके अनुसार आदेश का अनुपालन किया जाना भी अनिवार्य होगा।

7–उक्त परीक्षा तिथियों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से दी जायेगी।

8– परिसर निदेशक/संस्थान के प्राचार्य सी0सी0आई0एम0 नई दिल्ली के द्वारा जारी अधिसूचना 07 नवम्बर 2016 के अनुसार ही छात्र–छात्राओं को परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति प्रदान करेगें। प्रथम, द्वितीय व्यवसायिक के उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को ही बैठने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

परीक्षा नियंत्रक

संख्या – तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय,देहरादून।
3. परिसर निदेशक/प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध परिसर/निजी संस्थान, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विवश्वविद्यालय।
4. गार्ड फाईल।

परीक्षा नियंत्रक

Scanned with CamScanner